1683

संख्या–I/407104/2026–III(2)/2026–61(एम०एल०ए०)/2022
ई0पत्रावली–95617

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3108

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 जून, 2026

विषयः राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र–रामनगर में राज्य मार्ग संख्या–41 (रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम–चोरगलिया–सितारगंज–बिज्टी) के किमी०–6.00 से हनुमानधाम मंदिर मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

SSO(P) I
25.6.26

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे०का० लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन (प्रोजेक्ट आई०डी०–7454) जिसके अंतर्गत 7.350 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण की लागत ₹406.16 लाख है, के सापेक्ष शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹4,06,16,000/–(₹ चार करोड़ छः लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु ₹ 10,000/–(₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

EE(P-1)
29/06

i. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शैडयूल आफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–149101/XXVII(7)/E–20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iii. सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–I/276791/2025 ई0 पत्रावली संख्या– 23430{15(सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

SAO(P)
29/6/26

Scanned with OKEN Scanner

iv. High Brite cold applied plastic (CAP) का कार्य करवाने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता स्थलीय निरीक्षण कर इसके किये जाने के औचित्य का अनुमोदन कर लें।

v. बी0एम0 का कार्य किये जाने से पूर्व मार्ग की Geometrics को मानकों के अनुसार प्राप्त कर लिया जाय।

vi. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vii. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

viii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

ix. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

x. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

xi. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2025 एवं उक्त विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xiii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31–03–2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xiv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xv. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28–03–2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या–4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है ।

xvi. कार्यस्थल में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय–समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

2– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा ।

3– ये आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/406757/2026, दिनांक–19.06.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 22-06-2026 13:13:27

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
3. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल ।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षे०कार्या०, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि., नैनीताल ।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., रामनगर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/407104/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26060220111
आवंटन पत्र दिनांक-24-JUN-2026

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य रोक्टर
	02-नये निर्माण कार्य	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	1590000	10000	0	1600000
योग	1590000	10000	0	1600000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन- I" उत्तराखण्ड़ देहरादून
(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक–795 /20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1/2026, दिनांक–29/जून/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 02 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, CD खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, रामनगर।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner